न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :— सत्य नारायण—I (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :— 23/2024   **जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2024/76**
दायर दिनांक :— 02.02.2024   **निर्णय दिनांक :— 22.05.2026**

01. खमाकंवर पत्नी अर्जुनसिंह जाति राजपूत निवासी प्रतापगढ तह. सेतरावा जिला जोधपुर
02. कल्याणसिंह पुत्र अर्जुनसिंह जाति राजपूत निवासी प्रतापगढ तह. सेतरावा जिला जोधपुर
03. सुमनकंवर पुत्री अर्जुनसिंह जाति राजपूत निवासी देवीकोट जिला जैसलमेर
04. मनोहरकंवर पुत्री अर्जुनसिंह जाति राजपूत निवासी रायसर जिला जोधपुर
05. उच्छबकंवर पुत्री अर्जुनसिंह जाति राजपूत निवासी शिक्षक कॉलोनी चौपासनी स्कूल के सामने जोधपुर

वादीगण

बनाम

1. कंवरूकंवर पत्नी शैतानसिंह जाति राजपूत निवासी प्रतापगढ तह. सेतरावा जिला जोधपुर
2. चन्द्रवीरसिंह पुत्र शैतानसिंह जाति राजपूत निवासी प्रतापगढ तह. सेतरावा जिला जोधपुर
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

प्रतिवादीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :—1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधि.वादीगण
2 श्री करणीसिंह राठौड़ अधिवक्ता
प्रतिवादी संख्या 1 व 2

सहायक कलेक्टर बाप फलोदी (राज.) सत्यमेव जयते

—:: निर्णय ::—

प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध मजबूत आधारों का एक नियमित राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का पेश किया। उक्त वाद में वर्णित तथ्यों एवं दस्तावेजात से प्रार्थीगण का वाद प्रथम दृष्टया ही साबित है कि ग्राम नोख पटवार हल्का नोख तहसील बाप जिला फलोदी में खसरा नम्बर 275/2 रकबा 108—11 बीघा भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 की संयुक्त कब्जा काश्त की खातेदारी अधिकारों की पैतृक भूमि स्थित हैं। जिसे वाद में वादग्रस्त भूमि से संबोधित किया जावेगा। वर्तमान खसरा गिरदावरी की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। उक्त वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 275 कुल रकबा 325—18 बीघा भूमि सन् 1972 में मोहनसिंह पुत्र हुक्मसिंह व शैतानसिंह पुत्र अर्जुनसिंह राजपूत निवासी सेतरावा के नाम से संयुक्त हिन्दू परिवार की आय से खरीद की थी जो भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की संयुक्त सम्पति(HUF) की श्रेणी है। उक्त भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की आय से खरीद की भूमि होने से जरिये डिकी के गजेसिंह के नाम 1/3 हिस्सा अनुसार दर्ज की गई थी। उक्त डिकी अनुसार 1/3 हिस्सा मोहनसिंह का, 1/3 हिस्सा शैतानसिंह का तथा 1/3

Satya.
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

हिस्सा गजेसिंह का राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ। उक्त डिक्री के आधार पर राजस्व रेकर्ड में खाते अलग–अलग कायम कर दिये गये जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 275/2 रकबा 108–11 बीघा है। उक्त वादग्रस्त भूमि के 5/6 हिस्सा पर प्रार्थीगण काबिज है जिसमें प्रार्थीगण ने अपनी रहवासीय ढाणियां, पानी के टांके एवं पशुओं के लिये बाड़े इत्यादि बना रखे है एवं प्रत्येक वर्ष काश्त कर प्राकृतिक पैदावार का उपयोग एवं उपभोग करते आ रहे है। वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 की संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पति है, वर्ष 1972 में अर्जुनसिंह का अविभाजित हिन्दू परिवार(HUF) था। HUF के कर्ता खानदान प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 के पूर्वज अर्जुनसिंह होने के कारण अपने सबसे बड़े बेटे शैतानसिंह के नाम से सन् 1972 में संयुक्त हिन्दू परिवार की संयुक्त आय से तहसील पोकरण स्थित ग्राम नोख में स्थित उक्त वादग्रस्त भूमि क्रय करने का निर्णय किया एवं संयुक्त परिवार की आय से विक्रेता अनोपसिंह को प्रतिफल की सम्पूर्ण राशि अदा कर अपने बड़े बेटे शैतानसिंह जो अर्जुनसिंह के परिवार में सबसे बड़ा था जिसकी आयु वक्त उक्त भूमि खरीद 5 वर्ष थी के नाम से उप पजींयक कार्यालय में प्रतिवादी सं 1 के पति व प्रतिवादी सं. 2 के पिता शैतानसिंह के नाम उक्त भूमि का विक्रय विलेख पंजीकृत करवा दिया। वादग्रस्त भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पति है अप्रार्थी सं. 1 के पति व अप्रार्थी सं. 2 के पिता शैतानसिंह की क्रयशुदा सम्पति नहीं है क्योंकि वक्त उक्त भूमि खरीद शैतानसिंह की आयु महज 5 वर्ष ही थी। उक्त भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की आय से खरीदसुदा होने के कारण शैतानसिंह अपने सम्पूर्ण जीवनकाल तक उक्त भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज करवाने का आश्वासन देते रहे लेकिन शैतानसिंह की एक दुर्घटना में अचानक मृत्यु होने के कारण उक्त भूमि शैतानसिंह के नाम ही राजस्व अभिलेख में दर्ज रही और शैतानसिंह के देहान्त के कुछ समय तक अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 उक्त पैतृक भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज करवाने संस्वीकृति दी। शैतानसिंह के देहान्त पश्चात अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 ने उक्त वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण का 5/6 हिस्सा होना स्वीकार कर हस्तान्तरण विलेख के जरिये उक्तानुसार पंजीबद्ध करवाने की रूबरू मौतबिरान संस्वीकृति की थी, जिस से वादग्रस्त भूमि सिरोली अर्थात संयुक्त हिन्दू परिवार की संयुक्त सम्पति होना साबित है, प्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि में 5/6 हिस्सा है जिसकी घोषणा करवाने से प्रार्थीगण अधिकारी है। शैतानसिंह पुत्र अर्जुनसिंह वर्तमान में फौत हो चुके है और मुतवफी शैतानसिंह के फौतेदगी का नामान्तरकरण अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 तथा पूनकंवर व दिव्याशी राठौड़ के नाम से भरा जाकर स्वीकृत किया गया और उक्त फौतेदगी का नामान्तरकरण के पश्चात पूनकंवर व दिव्याशी राठौड़ ने अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 के पक्ष में हकतर्क कर दिया जो वर्तमान राजस्व अभिलेख जमाबंदी में अमलदराम हो चुका है इसलिये उक्त वादग्रस्त भूमि वर्तमान राजस्व अभिलेख जमाबंदी में अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 20/01/2024 को अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 ने अपनी संस्वीकृति के अनुसार वादग्रस्त भूमि का 5/6 हिस्सा हस्तान्तरण विलेख निष्पादित करने का परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों के निवेदन पर अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 ने वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण का हक हिस्सा होने से इंकार कर दिया एवं प्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने की धमकी दी जिसका उन्हे कोई विधिक अधिकार नही है वादग्रस्त भूमि से अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 मिलकर प्रार्थीगण को उनके जायज अधिकारों की भूमि से बलपूर्वक बेदखल कर देते है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

क्षति होगी जिसका मूल्याकंन व क्षतिपूर्ति किसी सूरत में सम्भव नहीं है इसलिये प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने का पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की और से अधिवक्ता श्री करणीसिंह राठौड़ ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि खसरा संख्या 275 रकबा 325–15 बीघा सन् 1972 में मोहनसिंह व शैतानसिंह द्वारा ही कय की गई थी। भूमि संयुक्त परिवार में खरीद करने के तथ्य गलत है। गजेसिंह के नाम 1/3 हिस्सा की डिक्री पैतृक भूमि बताकर गलत जारी करवाई गई है। जिसे न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष चन्द्रवीरसिंह बनाम गजेसिंह के कायम मुकाम उनवान से चुनौती दे रखी है। गजेसिंह के नाम गलत डिक्री के आधार पर राजस्व अभिलेख में वादग्रसत भूमि के खाते भी अलग–अलग गलत दर्ज किये गये है। वादीगण का 5/6 हिस्सा पर कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है और न कोई ढाणी, टांका इत्यादि बने हुवे है। मोहनसिंह तथा शैतानसिंह पढे लिखे व्यक्ति थे। मोहनसिंह भारतीय सेवा में कार्यरत थे तथा शैतानसिंह सरकारी शिक्षक थे। अप्रार्थीगण के परिवार के व्यक्ति गजेसिंह पुत्र लालसिंह ने एक राजस्व वाद संख्या 98/1984 अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का गलत तथ्य बताकर न्यायालय सहायक कलक्टर पोकरण में पेश कर मोहनसिंह व शैतानसिंह के शिक्षित होने जानते हुए उनके फर्जी अंगुष्ठ निशान करवाकर स्वयं के तथा मोहनसिंह व शैतानसिंह सेतरावा के निवासी होने के बावजूद गलत पता लिखवाकर गलत पते पर समन जारी करवाकर सम्यक तामिल करवाये बिना अपने पक्ष में एकतरफा गलत डिक्री जारी करवाई है। उस गलत डिक्री के आधार पर प्रार्थीगण ने वादग्रस्त भूमि को पैतृक तथा संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पति होना बताया है। गजेसिंह बनाम मोहनसिंह में पारित निर्णय व डिक्री की जानकारी अप्रार्थीगण को वाद के अभिवचन से होने पर अप्रार्थीगण ने निर्णय व डिक्री को न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के समक्ष चन्द्रवीरसिंह बनाम गजेसिंह के कायम मुकाम वगैरा उनवान से पेश कर चुनौती दे रखी है। प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थीगण के विरूद्ध जारी करवाने के हकदार नहीं है। वादग्रस्त काश्त भूमि प्रार्थीगण और अप्रार्थीगण की संयुक्त हिनदू परिवार होने के तथ्य गलत है। वास्तव में वादग्रस्त भूमि मूल खसरा नम्बर 275 रकबा 325–18 बीघा वक्त भू–प्रबन्ध अनोपसिंह पुत्र जसवन्तसिंह जाति राजपूत निवासी नोख के नाम पैमाईश होकर दर्ज अभिलेख की गई। यह भूमि दिनांक 09.06.1972 को मोहनसिंह पुत्र हुकमसिंह तथा अप्रार्थी संख्या 1 के पति अप्रार्थी संख्या 2 के पिता शैतानसिंह पुत्र अर्जुनसिंह के द्वारा अनोपसिंह को प्रतिफल अदा कर जरिये पंजीबद्व विकय विलेख के कय कर मौका पर वास्तविक एवं भौतिक कब्जा प्राप्त कर लिया गया था। प्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि में कोई हक हिस्सा व हित निहित नहीं है तो दिनांक 20.01.2024 को वादग्रस्त भूमि का 5/6 हिस्सा अप्रार्थीगण द्वारा अपनी पहले के संस्वीकृति अनुसार हस्तान्तरण के जरिये प्रार्थीगण के नाम दर्ज करवाने के तथ्य मिथ्या व हास्यास्पद है। प्रार्थीगण का वादगस्त भूमि में विधिक रूप से कोई हक हिस्सा व हित निहित नहीं तो उसको हस्तान्तरण के जरिये अभिलेख में वादग्रस्त भूमि में 5/6 हिस्सा का प्रार्थीगण के नाम दर्ज

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

करवाने के तथ्य गलत व निराधार है। प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि में कोई कब्जा काश्त नहीं रहा तो उन्हे बलपूर्वक बेदखल करने और प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। प्रार्थगण का प्रार्थना पत्र दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्ट्या साबित नहीं होने से प्रार्थीगण के पक्ष में कोई सुविध का सन्तुलन नहीं है, और न प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति हो रही है। प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

उक्त प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा न्यायिक दृष्टांत पेश किए जो निम्न प्रकार है–

1. **2001(1) RRT 590 जयनारायण बनाम बल्या व अन्य** में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर मे प्रतिपादित किया है कि न्यायालय एक या दोनों पक्षों को स्थगन प्रदान कर पाबन्द कर सकता है– प्रार्थी रेकर्डेड खातेदार है किन्तु अप्रार्थी संयुक्त परिवार की सम्पति के रूप में भूमि पर दावा कर रहा है।
2. **2024(1) RRT 105 भैरूराम बनाम सीताराम में** माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर ने प्रतिपादित किया है कि जहां किसी प्रकरण में महत्वपूर्ण प्रश्न का निश्चय करना शेष हो तो वहां प्रथम दृष्टया मामला विवादित संपति की यथास्थिति बनाए रखे जाने में ही होता है और ऐसी स्थिति मे प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में बनता है। यदि दौराने वाद विवादित संपति की यथास्थिति नहीं रखी गई तो मूलवाद के निर्णय तक संपति में हस्तान्तरण व अंतरण हो सकता है उसकी स्थिति परिवर्तित हो सकती है और ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन और अपूर्णी क्षति का बिन्दु भी विवादग्रस्त संपति की यथास्थिति बनाये जाना ही दोनो पक्षों के हित में है।

उक्त प्रकरण में अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा न्यायिक दृष्टांत पेश किए जो निम्न प्रकार है–

1. **गोविन्दम्मल बनाम अंजुम 28 मार्च 2024 मद्रास उच्च न्यायालय** में प्रतिपादित किया है कि "22. वाद संपति संयुक्त परिवार की संपति है, भले ही वह प्रथम प्रतिवादी के नाम पर हो, और यह भी कि पैतृक संपति से प्राप्त आय से खरीदा गया है, इसलिए वादी पक्ष पर यह साबित करने का दायित्व है कि पैतृक संपतियां उपलब्ध थी, उनसे आय प्राप्त होती थी और उस आय से इतनी अधिशेष राशि प्राप्त हुई थी जो वाद संपति को खरीदने के लिए पर्याप्त थी। जब तक ये मूलभूत तथ्य साबित नहीं हो जाते और वादी पक्ष इस दायित्व को पूरा नहीं कर लेता, तब तक इसके विपरित साबित करने का दायित्व प्रतिवादियों पर नहीं आएगा"

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सुनी गयी। पत्रावली में सलंग्न प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, खसरा गिरदावरी, नामान्तरकरण एवं अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की ओर से पेश न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन किया गया। हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है–

प्रथम दृष्टया मामला

प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जाये क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

वादग्रस्त भूमि ग्राम नोख पटवार हल्का नोख के खसरा नम्बर 275 कुल रकबा 325–18 बीघा के राजस्व अभिलेख का अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि मोहनसिंह पुत्र हुक्मसिंह व शैतानसिंह पुत्र अर्जुनसिंह के नाम दर्ज थी। उक्त भूमि मोहनसिंह पुत्र हुक्मसिंह व शैतानसिंह पुत्र अर्जुनसिंह कय की थी। जो नामान्तरकरण के कॉलम संख्या 14 की प्रविष्टी से स्पष्ट है कि बेचान स्टाम्प रूपया 20/– द्वारा सब रिजिस्टार पोकरण दिनांक 18.08.72 पंजीयन होने से नामान्तरकरण दर्ज किया। वर्तमान में उक्त भूमि खसरा नम्बर 275/2 रकबा 108–11 बीघा स्थित है। पत्रावली के संलग्न शैतानसिंह की अंक तालिका अनुसार जन्म तिथि 1967 होने का अकंन है। उक्त भूमि 1972 मे कय की गई थी। नामान्तरकण एवं अंक तालिका अनुसार शैतानसिंह की उम्र महज 5 साल थी। प्रार्थीगण एवं शैतानसिंह सभी अर्जनसिंह के वारिसान है। वादग्रस्त भूमि संयुक्त हिन्दू पारिवार की सम्पति है। वादीगण के वाद में जवाब दावा के आधार पर तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्य सुनवाई उपरान्त ही निर्धारण किया जा सकता है कि वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण का हक हिस्सा है या नहीं। जहां किसी प्रकरण में महत्वपूर्ण प्रश्न का निश्चय करना शेष हो तो वहां प्रथम दृष्टया मामला विवादित संपति की यथास्थिति बनाए रखे जाने में ही होता है अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में भली भांति साबित होता

सहायक कलेक्टर बाप, जिला फलोदी (राज.)

सुविधा का संतुलन

सुविधा के संतुलन से तात्पर्य है कि यदि व्यादेश नहीं दिया जाता है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या प्रतिपक्षी को।

वादग्रस्त भूमि ग्राम नोख पटवार हल्का नोख के खसरा नम्बर 275 कुल रकबा 325–18 बीघा के राजस्व अभिलेख का अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि मोहनसिंह पुत्र हुक्मसिंह व शैतानसिंह पुत्र अर्जुनसिंह के नाम दर्ज थी। उक्त भूमि मोहनसिंह पुत्र हुक्मसिंह व शैतानसिंह पुत्र अर्जुनसिंह कय की थी। जो नामान्तरकरण के कॉलम संख्या 14 की प्रविष्टी से स्पष्ट है कि बेचान स्टाम्प रूपया 20/– द्वारा सब रिजिस्टार पोकरण दिनांक 18.08.72 पंजीयन होने से नामान्तरकरण दर्ज किया। वर्तमान में उक्त भूमि खसरा नम्बर 275/2 रकबा 108–11 बीघा स्थित है। पत्रावली के संलग्न शैतानसिंह की अंक तालिका अनुसार जन्म तिथि 1967 होने का अकंन है। उक्त भूमि 1972 मे कय की गई थी। नामान्तरकण एवं अंक तालिका अनुसार शैतानसिंह की उम्र महज 5 साल थी। प्रार्थीगण एवं शैतानसिंह सभी अर्जनसिंह के वारिसान है। यदि दौराने वाद विवादित संपति की यथास्थिति नहीं रखी गई तो मूलवाद के निर्णय तक संपति में हस्तान्तरण व अंतरण हो सकता है उसकी स्थिति परिवर्तित हो सकती है अतः सुविधा का सन्तुलन बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

अपूर्णीय क्षति

अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक ऐसी 'तात्विक क्षति' से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नहीं की जा सकती।

चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थीगण का दावा अन्तर्गत 88,18892ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विचाराधीन है और प्रथम दृष्ट्या मामला और सुविधा का सन्तुलन दोनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित हुवे है।

अतः न्यायालय का अभिमत है कि प्रार्थीगण के पक्ष में तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णनीय क्षति साबित होने से अस्थाई व्यादेश का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीया अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि अस्थाई व्यादेश इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि ग्राम नोख पटवार हल्का नोख तहसील बाप के खसरा नम्बर 275/2 रकबा 108—11 बीघा भूमि में मूल वाद के निस्तारण तक राजस्व अभिलेख एवं मौके की यथास्थिति बनायें रखने हेतु उभय पक्ष को पाबंद किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णय शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.05.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर बाप, जिला फलोदी (राज.)

Satya

(सत्य नारायण—I आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)